



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 / 17 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th July, 2025

File No. HFW-B(F)4-9/2017-II.—In continuation of this department notification of even No. dated 4-9-2023, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to incorporate the following proviso

100—राजपत्र / 2025—08—08—2025 (4507)

after last para of the amendment to the Annexure-A of the PG/SS policy clarifying “All other Rural Areas” and “Urban Areas” as below:—

1. All other Rural Areas:

“Provided further that all the areas other than (i) Tribal/Remotest areas, (ii) Hard/Difficult Areas, (iii) Difficult Rural Areas and (iv) Urban Areas which are not covered under category A, B & C of amended Annexure-A and are not Urban Areas are “All other Rural Areas of HP”.

2. Urban Areas of H.P.:

“Provided further that “Urban Areas of HP” for the purpose of implementation of this policy includes those areas which are notified as Municipal Corporation constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) or a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) or the Cantonment Board and the Special areas as designated under the H.P. TCP Act (1977) other than in Tribal/Remotest Areas, Hard /Difficult Areas and Difficult Rural Areas as per Annexure-A”.

This issues with the prior approval of the competent authority and clarification issued *vide* this department letter of even No. dated 6-5-2025 is hereby withdrawn.

By order,

Sd/-
Secretary(Health).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2025

No. TPT-C(17)-2/2025.—In continuation to this department’s Notification No. TPT-A(1)-3/2015, dated 06-06-2023 and in supersession of Notification of even number dated 22-07-2025 the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Section-56(1) of H.P. Motor Vehicles Rules, 1989, is pleased to re-appoint the following non official members of the State Transport Authority, Himachal Pradesh for two years:—

Non-Official Members:—

Sl. No.	Name and Address
1.	Sh. Ashok Thakur s/o Late Sh. Suram Singh, V.P.O. Pandoga, Distt. Una, H.P.
2.	Mrs. Anjana Dhiman w/o Sh. Mast Ram Dhiman, V.P.O. Ladda, Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P.

3.	Sh. Baldev Thakur s/o Sh. Labh Singh, Vill. Khandla, P.O. Kummi, Teh. Balh, Distt. Mandi, H.P.
4.	Sh. Sunil Dutt Sharma s/o Sh. Roshan Lal, Vill. Badaran, P.O. Jhollan, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P.

By order,

R. D. NAZEEM,
Addl. Chief Secretary (Transport).

**ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मु0 नं0 : 02/ना/2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 25-08-2025

आत्मी देवी पत्नी स्व0 शम्भू सिंह, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत पंजीकरण करने बारे ।

आत्मी देवी पत्नी स्व0 शम्भू सिंह, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरी पुत्री निशि देवी का जन्म दिनांक 07-01-1975 को गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, ग्राम पंचायत धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यारा के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरा करने का आदेश ग्राम पंचायत धुपक्यारा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्यांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त निशि देवी पुत्री आत्मी देवी पत्नी स्व0 शम्भू सिंह, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 07-01-1975 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव धुपक्यारा को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 03/ना/2025

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-08-2025

सतपाल पुत्र स्व0 नन्द लाल, गांव जगनी जाड, डाकघर अप्पर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

सतपाल पुत्र स्व0 नन्द लाल, गांव जगनी जाड, डाकघर अप्पर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरे दादा श्री वली राम पुत्र स्व0 सोहनू की मृत्यु दिनांक 15-07-1978 को गांव जगनी जाड, डाकघर अप्पर लम्वागांव, ग्राम पंचायत सोल वनेहड़, तहसील जससिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घर वालों ने मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने दादा की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वली राम पुत्र स्व0 सोहनू, गांव जगनी जाड, डाकघर अप्पर लम्वागांव, तहसील जससिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि 15-07-1978 के मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव सोल वनेहड़ को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10/ 2025

तारीख पेशी : 29-08-2025

उनवान मुकद्दमा :

बेगमा देवी पुत्री संत राम, पैतृक गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हाल निवासी गांव बेडी सिल्ह, डाकघर शीरड़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

आवेदन—पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया बेगमा देवी पुत्री संत राम, पैतृक गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 03-09-1964 को गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुआ है। जिसका जन्म पंजीकरण जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पोलिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इशतहार राजपत्र से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का उपरोक्त नाम एवं जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख में पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2025 को असातन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज स्वीकार न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Onkar Katoch s/o Late Partap Chand, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Onkar Katoch s/o Late Partap Chand, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Onkar Katoch s/o Late Partap Chand का जन्म दिनांक 28-04-1953 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस मुश्री मुनादी द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Onkar Katoch के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-08-2025 को असातन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Surjit Kumar s/o Late Devi Saran, r/o Gram Panchayat Tangroti, Village Tangroti, P.O. Ramerh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Surjit Kumar s/o Late Devi Saran, r/o Gram Panchayat Tangroti, Village Tangroti, P.O. Ramerh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Surjit Kumar s/o Late Devi Saran का जन्म दिनांक 08-01-1968 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत धर्मशाला में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस मुश्री मुनादी द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Surjit Kumar के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-08-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती कैलाश देवी पुत्री सुखिया राम, निवासी गदियाड़ा, डाकघर खैरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

प्रार्थिया कैलाश देवी पुत्री सुखिया राम, निवासी गदियाड़ा, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने जन्म जोकि दिनांक 19-12-1962 को गांव गदियाड़ा, ग्राम पंचायत खैरा में हुआ था, का जन्म स्थानीय पंचायत में पंजीकृत करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान, मुख्य पंजीकार (जन्म और मृत्यु) शिमला द्वारा अपर्याप्ता पत्र और अनुशंसा पत्र सहित पेश किया। प्रार्थिया के अनुसार अज्ञानतावश अपनी जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत खैरा के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अब प्रार्थिया न्यायलय के आदेशों से उपरोक्त पंचायत में अपनी जन्म तिथि को पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्ट्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

कृष्णा देवी

बनाम

समस्त जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी सुरजीत सिंह, वासी महाल रौड, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरखास्त की है कि उसके पुत्र आकाशदीप का जन्म ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थिया ने अपने पुत्र के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है। प्रार्थिया के पुत्र का जन्म दिनांक 05-08-2007 को हुआ है तथा उसका जन्म गांव रौड, तहसील हरिपुर में हुआ है।

अतः इस नोटिस/मुश्ट्री मुनादी द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के पुत्र के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने बारे आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 25-08-2025 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Assistant Collector-cum-Naib Tehsildar, Bharoli,
Distt. Kangra (H.P.)-176 036**

In the matter of :

Amari Devi wd/o Gian Chand s/o Ram Singh, r/o Village Jatehar, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, District Kangra, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application for the correction of Name under section 37(2) of Land Revenue Act, 1954.

Notice to the General Public.

Amari Devi wd/o Gian Chand s/o Ram Singh, r/o Village Jatehar, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, District Kangra, H.P. has submitted an application under section 37(2) of The Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Adhar Card, Pan Card, Parivar Nakal and Jamabandi Parcha in the court of undersigned.

Wherein she stated that she belongs to above mentioned address. Her name is written as Amaro Devi in the land/revenue records of Mohal Jatehar, Mouza Bharoli which is wrong. Her original/correct name is " Amari Devi". Therefore, she request to correct her name as "Amari Devi" instead of Amaro Devi in the revenue record of Mohal Jatehar, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, as per supportive documents enclosed by her with the application file.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court before 29-08-2025. No objection will be entertained after prescribed period and appliation will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 28-07-2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector-cum-Naib Tehsildar,
Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Raja Ka Talab,
District Kangra (H.P.)**

File No. /NTEH/2025 Date of Institution : 28-05-2025 Case Titled : Correction of name

Smt. Kalo Devi wd/o Narayan Singh, r/o Village & P.O. Rehan, Sub-Teshil Raja Ka Talab, District Kangra, H.P.

Versus

The General Public

Notice of the General Public.

Whereas, Smt. Kalo Devi wd/o Narayan Singh, r/o Village & P.O. Rehan, Sub-Teshil Raja Ka Talab, District Kangra, H.P. has filed an application before the undersigned in which she has stated that her correct name according to Gram Panchayat record, Aadhar Card, Bank record, Mark List etc. is Smt. Kalo Devi wd/o Narayan Singh but due to clerical mistake her name has been wrongly entered in Revenue record of Mohal Rehan Khas Patwar Circle Rehan bearing Khata No. 160.

The enquiry of the application filed by the applicant was conducted through field revenue agencies and after receiving report from the field revenue agencies, it has been observed that the applicant correct name is Smt. Kalo Devi wd/o Narayan Singh but the name of the applicant is recorded in revenue record is Smt. Kamla Devi wd/o Narayan Singh.

Now, therefore, in pursuance of section 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954, proclamation is hereby issued to all General public concerned that objection in this regard for correction of the name of Smt. Kamla Devi wd/o Narayan Singh shall be heard by the undersigned on 29-08-2025 in his court at Raja Ka Talab. Any person having any objection to make in the matter may due so on the said date and place in person or through legal practitioner or through recognised agent. In case of non-appearance proceedings will be taken *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 28-07-2025.

Seal.

Sd/-

*Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.).*

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश-172 104

कमला देवी पुत्री सुख पत, निवासी चगांव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पूनंग में जन्म पंजीकरण करने बारे।

आवेदिका कमला देवी पुत्री सुख पत, निवासी चगांव, डाकघर चगांव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगांव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत आवेदिका ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। आवेदिका की जन्म तिथि 04-06-1963 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत चगांव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट

गया है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 04-06-1963 को ग्राम पंचायत चगाव के अभिलेख में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा आवेदिका की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश-172 104**

यशोदा देवी पुत्री कन्चुक राम, निवासी युला, डाकघर युला, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत युला में जन्म पंजीकरण करने बारे।

आवेदिका यशोदा देवी पुत्री कन्चुक राम, निवासी युला, डाकघर युला, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत युला के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत आवेदिका ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। आवेदिका की जन्म तिथि 06-04-1974 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत युला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 06-04-1974 को ग्राम पंचायत युला के अभिलेख में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा आवेदिका की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 :

दिनांक : 26-07-2025

श्रीमती कमला देवी पुत्री बीरी सिंह, गांव सहल, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला देवी पुत्री बीरी सिंह, गांव सहल, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी का जन्म दिनांक 24-12-1966 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत पाली को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 :

दिनांक : 29-07-2025

श्रीमती सरला देवी पुत्री हरी दास, गांव बाड़ी, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री हरी दास, गांव बाड़ी, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती सरला देवी का जन्म दिनांक 19-12-1959 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डलाह, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत डलाह को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० :
60/2025

तारीख मजरूआ :
04-07-2025

तारीख पेशी :
01-09-2025

अहल्या देवी पुत्री स्व० प्रेमलाल, निवासी गांव कठलग, डाकघर पधीयूं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे इशतहार/गजट राजपत्र में प्रकाशन बारे।

अहल्या देवी पुत्री स्व० प्रेमलाल, निवासी गांव कठलग, डाकघर पधीयूं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा नाम अहल्या देवी पुत्री स्व० प्रेमलाल है व मेरा जन्म दिनांक 29-01-1964 को गांव पधीयूं में घर पर हुआ है लेकिन अपनी अज्ञानता/अनजाने में इसे ग्राम पंचायत पधीयूं के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी हूं। जिसे मैं अब सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती हूं। अतः मेरा महोदय से निवेदन है उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पधीयूं में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पधीयूं के जन्म रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 01-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 01-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 :

दिनांक : 26-07-2025

श्रीमती रीता देवी पुत्री देवी चंद महंत, गांव जुंडर, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी।

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रीता देवी पुत्री देवी चंद महंत, गांव जुंडर, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती रीता देवी का जन्म दिनांक 30-09-1982 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया गया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुन्नू को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 :

तारीख मजरूआ :

तारीख पेशी :

61 / 2025

01-08-2025

01-09-2025

लुदर मणि पुत्र श्री देव, निवासी गांव बिहणधार, डाकघर घाण, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे इशतहार/गजट राजपत्र में प्रकाशन बारे।

लुदर मणि पुत्र श्री देव, निवासी गांव बिहणधार, डाकघर घाण, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि मेरे पुत्र का नाम सार्थिक है व जिसका जन्म दिनांक

20-02-2023 को घर पर हुआ है लेकिन अपनी अज्ञानता/अनजाने में इसे ग्राम पंचायत घाण के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका हूं। जिसे मैं अब सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः मेरा महोदय से निवेदन है कि मेरे बेटे का नाम ग्राम पंचायत घाण में दर्ज करने के आदेश जारी किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के बेटे का नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत घाण के जन्म रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 01-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 01-08-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी
तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Kartike Guleria s/o Sh. Virender Guleria, Village Sanyardh, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Sakshi d/o Sh. Rakesh Kumar Chandel, r/o 181/3, Jail Road Mandi, Town, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Kartike Guleria s/o Sh. Virender Guleria, Village Sanyardh, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Sakshi d/o Sh. Rakesh Kumar Chandel, r/o 181/3, Jail Road Mandi, Town, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present wife Sh. Kartike Guleria s/o Sh. Virender Guleria, Village Sanyardh, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-12-2024 according to Hindu rites and customs at their respective houses at Mandi, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-08-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26th day of July, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Bhag Singh s/o Sh. Bhagwant Singh, r/o H. No. 99/2/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Sant Kaur d/o Sh. Satnam Singh, Village Muhawa, P.O. Attari, Tehsil Attari, District Amritsar, Punjab . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Bhag Singh s/o Sh. Bhagwant Singh, r/o H. No. 99/2/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Sant Kaur d/o Sh. Satnam Singh, Village Muhawa, P.O. Attari, Tehsil Attari, District Amritsar, Punjab (at present wife S Sh. Bhag Singh s/o Sh. Bhagwant Singh, r/o H. No. 99/2/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-04-2024 according to Sikh rites and customs at Namdhari Sangat Mandi, Trust Ram Nagar Mandi, Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-08-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26th day of July, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0—171 208

सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि श्रीमती बबीशना पत्नी श्री विवेक सिंह, निवासी गांव तेलगा, डाकघर खशधार, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0 की पुत्री कु0 गुंजन पुत्री श्री विवेक कुमार,

निवासी गांव तेलगा, डाकघर खशधार, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0 का नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश "काकी" दर्ज हो गया था। यह नाम गलत है। वास्तविक और सही नाम "गुंजन" है। इस संबंध में आवश्यक सुधार हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। प्रार्थिया की पुत्री कुमारी गुंजन की जन्म तिथि 08-06-2015 है।

अतः संबंधित विभागों, संस्थानों एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त व्यक्ति को गुंजन पुत्री विवेक के नाम से जाना एवं सम्बोधित किया जावेगा इस बाबत यदि किसी व्यक्ति एवं व्यक्तियों को कोई एतराज हो तो एक माह के भीतर इस कार्यालय में दर्ज करवा सकता है।

आज दिनांक 26-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0-171 208

राज कुमारी

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(2/3) तथा हि0प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 9 (2/3).

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री सोहन लाल पुत्र री धीरजा नंद, निवासी गांव दिउदी, डाकघर पेखा, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने दरखास्त गुजारी है कि वह अपनी भांजी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत दिउदी-माईला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की भांजी की जन्म तिथि 20-04-2007 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को इस बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन मिति 26-08-2025 को अदालत हजा में हाजिर आकर पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रार्थी की भांजी का जन्म का पंजीकरण नियमानुसार ग्राम पंचायत दिउदी-माईला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 04/2025

तारीख मजरुआ : 19-06-2025

तारीख फैसला : 30-08-2025

श्रीमती कला देवी पुत्री स्व0 श्री शौंकू राम हाल पत्नी श्री कर्मचन्द, निवासी ग्राम बेजो, डा0 जाबरी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया श्रीमती कला देवी पुत्री स्व० श्री शौकू राम हाल पत्नी श्री कर्मचन्द, निवासी ग्राम बेजो, डा० जाबरी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि० प्र०) ने दिनांक 19-06-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा दीलग में प्रार्थिया का नाम जयवन्ती पुत्री शौकू दर्ज राजस्व कागजात है, जो कि गलत है। प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र को छानबीन हेतु पटवारी हल्का हलोग को भेजा गया। पटवारी पटवार वृत्त हलोग से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मौजा दीलग में प्रार्थिया का नाम जयवन्ती पुत्री शौकू दर्ज है। मुताबिक ब्यानात स्थानीय वाशिन्दगान प्रार्थिया का नाम विवाह के पश्चात् ससुराल में कला देवी रखा गया तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत बठमाणा जाबरी से जारी परिवार नकल, शपथ-पत्र तथा उनके पति श्री कर्मचन्द के पेंशन दस्तावेजों के अनुसार भी प्रार्थिया का नाम कला देवी है जो सही है। जिससे स्पष्ट होता है कि जयवन्ती व कला देवी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौजा दीलग पटवार वृत्त हलोग के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम जयवन्ती उर्फ कला देवी पुत्री शौकू दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 30-08-2025 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस अदालत में आकर अपना उजर/एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री रामगोपाल पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम चान्दनी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री रामगोपाल पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम चान्दनी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०) का प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी मौजा चान्दनी, तहसील कमरऊ वर्ष 2020-21, नकल जमाबन्दी, मौजा चियां पिपलात वर्ष 2017-18, नकल इन्तकाल, मौजा चियां पिपलात, परिवार नकल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है, कि मौजा चियां पिपलात में प्रार्थी का नाम गोपाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज है, जबकि प्रार्थी अपना नाम मौजा चियां पिपलात में मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन, आधार कार्ड, परिवार नकल में राम गोपाल पुत्र प्रेम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

चूंकि उक्त प्रकरण बारे छानबीन क्षेत्रीय कर्मचारियों से करवाई गई तथा छानबीन में क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा मुताबिक रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु सिफारिश की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी जन मानस को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2025 का प्रातः 10.00 बजे तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री रामगोपाल पुत्र प्रेम सिंह, निवासी ग्राम चान्दनी, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब-तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती नागी देवी पत्नी श्री जय चन्द, निवासी मकान नम्बर 356/3, शिमला रोड, नजदीक हाथी की कबर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती नागी देवी पत्नी श्री जय चन्द, निवासी मकान नम्बर 356/3, शिमला रोड, नजदीक हाथी की कबर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-3352, दिनांक 16-06-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, पार्षद की रिपोर्ट, शजरा नस्ब मौजा हरीपुर, दो गवाहन के ब्यान हल्फी आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उनके brother in law श्री फूल सिंह पुत्र श्री सेवा राम की मृत्यु तिथि 10-04-2005 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश नगर पालिका में दर्ज न करवा सके। अब वह उनकी मृत्यु तिथि नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 29-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया प्रार्थिया श्रीमती नागी देवी पत्नी श्री जय चन्द, निवासी मकान नम्बर 356/3, शिमला रोड, नजदीक हाथी की कबर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के brother-in-law श्री फूल सिंह पुत्र श्री सेवा राम की मृत्यु तिथि 10-04-2005 नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 29-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री थोलिया, निवासी ग्राम मुंडियाड, डाकघर काण्डो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

Application for correction of Spelling of Name in the Aadhar card.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री थोलिया, निवासी ग्राम मुंडियाड, डाकघर काण्डो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम आधार कार्ड में Kundiya (कुन्दिया) दर्ज है जोकि गलत है, जबकि उसका सही नाम Kundan Singh (कुन्दन सिंह) है। प्रार्थी अपना नाम Kundan Singh (कुन्दन सिंह) आधार कार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर, मतदाता पहचान पत्र, पी.ए.एन. कार्ड व शपथ-पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को आधार कार्ड में Kundiya (कुन्दिया) के स्थान पर Kundan Singh (कुन्दन सिंह) दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 30-08-2025 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। दीगर सूरत में Kundiya (कुन्दिया) के स्थान पर Kundan Singh (कुन्दन सिंह) आधार कार्ड में दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा: श्री टिका राम पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी गांव बोबरी, डाकघर व ग्राम पंचायत बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री टिका राम पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी गांव बोबरी, डाकघर व ग्राम पंचायत बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक अपने पुत्र वंश चौहान का नाम व जन्म तिथि 09-02-2011 को ग्राम पंचायत बाली कोटी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक के पुत्र वंश चौहान का नाम व जन्म तिथि 09-02-2011 को ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-08-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पुत्र वंश चौहान का नाम व जन्म तिथि 09-02-2011 को ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा: श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी गांव पिपनौर, डाकघर गवाली, ग्राम पंचायत मानल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी गांव पिपनौर, डाकघर गवाली, ग्राम पंचायत मानल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदिका अपनी पुत्री नियती नेगी का नाम व जन्म तिथि 23-09-2017 को ग्राम पंचायत मानल के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका की पुत्री का नाम व जन्म तिथि 23-09-2017 को ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-08-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका की पुत्री का नाम व जन्म तिथि 23-09-2017 को ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा: श्रीमती पिकी पत्नी श्री कपिल देव, निवासी गांव पिपनौर, डाकघर गवाली, ग्राम पंचायत मानल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पिकी देवी पत्नी श्री कपिल देव, निवासी गांव पिपनौर, डाकघर गवाली, ग्राम पंचायत मानल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदिका अपने पुत्र रियांश नेगी का नाम व जन्म तिथि 17-07-2018 को ग्राम पंचायत मानल के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका के पुत्र का नाम व जन्म तिथि 17-07-2018 को ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-08-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका के पुत्र रियांश नेगी का नाम व जन्म तिथि 17-07-2018 को ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

श्रीमती शान्ता देवी पुत्री श्री रमेश कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर भराड़ी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती शान्ता देवी पुत्री श्री रमेश कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर भराड़ी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 30-01-1985 है और उसे ग्राम पंचायत/नगर पालिका भराड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-08-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर शान्ता देवी की पुत्री की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 01-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Shri Rajeev Ranta, Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Solan,
District Solan (H.P.)**

In the matter of :

Smt. Asha Devi d/o Shri Gopalu Ram & Smt. Durgi Devi w/o Shri Khem Chand, permanent
r/o Village Rabon, Post Office Bohli, Tehsil & District Solan (H.P.) . .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.

Whereas, the applicant Smt. Asha Devi d/o Shri Gopalu Ram & Smt. Durgi Devi w/o Shri Khem Chand, permanent r/o Village Rabon, Post Office Bohli, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her date of birth *i.e.* 20-06-1975 and place of birth at r/o Village Ghalyana, Post Office Barog, Tehsil & District Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Bohli, Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Asha Devi d/o Shri Gopalu Ram & Smt. Durgi Devi may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 31-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 30th day of July, 2025.

Seal.

Sd/-
(RAJEEV RANTA),
Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Solan, District Solan (H.P.).

**In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo,
District Solan (H.P.)**

Case No. : 20/ 2025

Date of Instt. : 18-07-2025

Date of Decision : 31-08-2025

Smt. Manju Devi d/o Shri Prem Dass, r/o Village Bargyana, P.O. Bhojngar, Sub-Tehsil Parwanoo.

Versus

General Public through Gram Panchayat Bhojnagar, Sub-Tehsil Parwanoo

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Manju Devi d/o Shri Prem Dass, r/o Village Bargyana, P.O. Bhojnaar, Sub-Tehsil Parwanoo has filed an application under section 13 (3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 and section 9(3) of Birth & Death Registraton Rule, 2003 stating therein that her birth could not registered in the Death & birth records of Gram Panchayat Bhojnagar, within stipulated period. Her date of Birth is 05-09-1979. She prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Birth & Death, Bhojnagar, Sub-Tehsil Parwanoo, for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding entering the birth of Smt. Manju Devi d/o Sh. Prem Dass, r/o Village Bargyana, P.O. Bhojnagar, Sub-Tehsil Parwanoo may file their objections in this court on or before 31-08-2025, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 18th day of July, 2025.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H. P.).*

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील एवं
जिला ऊना (हि0प्र0)**

केस नं0
14 / Corr./T/U/2025

किस्म मुकद्दमा
नाम दुरुस्ती

तारीख दायर
14-07-2025

तारीख पेशी
25-08-2025

श्री महिन्दर चन्द पुत्र गुलजारी उर्फ गुरुदास, वासी वार्ड नं0 10, उपमहाल वैहली, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 हाल वासी गांव भलान, तहसील नंगल व जिला रूपनगर, पंजाब प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्री मुनादी व चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री महिन्दर चन्द पुत्र गुलजारी उर्फ गुरुदास, वासी वार्ड नं० 10, उपमहाल वैहली, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० हाल वासी गांव भलान, तहसील नंगल व जिला रूपनगर, पंजाब ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी माता व पिता का नाम दलीप कौर व गुलजारी राजस्व अभिलेख मोहाल/उप-महाल वैहली में दर्ज है, जबकि उनकी माता का सही नाम दलीपो देवी व पिता का सही नाम गुरदास राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके माता का नाम दलीप कौर उर्फ दलीपो देवी व पिता का नाम गुलजारी उर्फ गुरदास राम किया जाए। प्रार्थी द्वारा दिए गए शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात व हल्का पटवारी रिपोर्ट मिसल साथ संलग्न है।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 25-08-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 24-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०)

केस नं० :	किस्म मुकद्दमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
26/B & D/T/U/2025	जन्म पंजीकरण	25-07-2025	25-08-2025

श्री राजिन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह व करतार कौर, वासी लोयर अरनियाला, डाकघर कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थी श्री राजिन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह व करतार कौर, वासी लोयर अरनियाला, डाकघर कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण राजिन्दर सिंह की जन्म तिथि 01-07-1966 करनैल सिंह व करतार कौर।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री राजिन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह व करतार कौर, वासी लोयर अरनियाला, डाकघर कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण राजिन्दर सिंह जन्म तिथि 01-07-1966 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1966 को ग्राम पंचायत लोयर अरनियाला में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 25-08-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस

न्यायालय में असागतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम पंचायत/एम.सी. को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकदमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
27/Marriage/T/U/2025	विवाह पंजीकरण	27-05-2025	25-08-2025

श्री अविनाश शर्मा पुत्र प्रेम कुमार, वासी कोटला खुर्द, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व श्रीमती पायल ठाकुर हाल पत्नी अविनाश शर्मा पुत्री प्रमोद सिंह, वासी वार्ड नं0 04, सलोई, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण श्री अविनाश शर्मा पुत्र प्रेम कुमार, वासी कोटला खुर्द, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व श्रीमती पायल ठाकुर हाल पत्नी अविनाश शर्मा पुत्री प्रमोद सिंह, वासी वार्ड नं0 04, सलोई, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण के इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति के अनुसार 10-12-2020 को श्रीमती पायल ठाकुर हाल पत्नी अविनाश शर्मा पुत्री प्रमोद सिंह, वासी वार्ड नं0 04, सलोई, तहसील अम्ब व जिला ऊना, हि0प्र0 से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत कोटला खुर्द के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को एम.सी./पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र, तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 25-08-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असागतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :
28/Marriage/T/U/2025

किस्म मुकद्दमा:
विवाह पंजीकरण

तारीख दायर:
28-07-2025

तारीख पेशी:
30-08-2025

श्री नीरज पुत्र रवि कुमार व अंजली शर्मा हाल पत्नी नीरज पुत्री प्रीतम शर्मा हाल वासी हाऊस नं0 828, ब्लॉक नं0 17 नियर, एम.सी. पार्क वार्ड नं0 7, मौहल्ला चिट्ठूआ, डाकघर ऊना व जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी”।

प्रार्थना—पत्र शादी पंजीकरण श्री नीरज पुत्र रवि कुमार व अंजली शर्मा हाल पत्नी नीरज पुत्री प्रीतम शर्मा हाल वासी हाऊस नं0 828, ब्लॉक नं0 17 नियर एम.सी. पार्क, वार्ड नं0 7, मोहल्ला चिट्ठूआ, डाकघर ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण के इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति के अनुसार 27-01-2023 को अंजली शर्मा हाल पत्नी नीरज पुत्री प्रीतम शर्मा हाल वासी हाऊस नं0 828, ब्लॉक नं0 17 नियर एम.सी. पार्क, वार्ड नं0 7, मौहल्ला चिट्ठूआ, डाकघर ऊना व जिला ऊना, हि0प्र0 से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को एम.सी./पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ—पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना—पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 30-08-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 29-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, L. D. Sharma s/o Late Sh. Ram Dass Sharma, r/o Prem Niwas, Dudhli, P.O. Bharari, District Shimla (H.P.), Pin-171001 declare that I have changed my name from L. D. Sharma (Old Name) to Lila Dhar Sharma (New Name). All concerned please may note.

L. D. SHARMA
s/o Late Sh. Ram Dass Sharma,
r/o Prem Niwas, Dudhli,
P.O. Bharari, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Chhaju Ram s/o Sh. Jhemiya Ram, r/o Village Khobdali, P.O. Kupvi, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.), Pin-171217 declare that in my daughter's Aadhar Card bearing No. 8760 1586 2125 her name is wrongly entered as Ranju Haraik which should be corrected as Ranjna Kumari. Please correct this.

CHHAJU RAM
s/o Sh. Jhemiya Ram,
r/o Village Khobdali, P.O. Kupvi,
Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sono Devi aged 61 years w/o Late Sh. Kartar Singh, r/o Village Ganor, P.O. Nainikhad, Sub-Tehsil Kakira, District Chamba (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Chhuno Devi in my Aadhar Card. It may be corrected as Sono Devi. All concerned please may note.

SONO DEVI
w/o Late Sh. Kartar Singh,
r/o Village Ganor, P.O. Nainikhad,
Sub-Tehsil Kakira, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vandna Sharma w/o Sh. Ashwani Kumar, r/o Village Jhiralari, P.O. Jhiralari, Tehsil Barsar, Badhan (40/47), District Hamirpur (H.P.)-176041 declare that I have changed my name from Vandna Kumari (Previous Name) to Vandna Sharma (New Name). All concerned please may note.

VANDNA SHARMA
w/o Sh. Ashwani Kumar,
r/o Village Jhiralari, P.O. Jhiralari,
Tehsil Barsar, Badhan (40/47), District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dayawanti w/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Pagog, P.O. AG Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I want to change my son's name from Vivek Kumar to Vivek in all documents/records. All concerned please may note.

DAYAWANTI
w/o Sh. Rajesh Kumar,
r/o Village Pagog, P.O. AG Shimla,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Amar Singh s/o Sh. Raiya Ram, r/o Village Mushari, P.O. Dhar Chanana, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Shavni (Previous Name) to Shivani (New Name). All concerned please may note.

AMAR SINGH
s/o Sh. Raiya Ram,
r/o Village Mushari, P.O. Dhar Chanana,
Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suresh Gharti Magar s/o Sh. Dhan Bhadur, r/o Village Madaog, P.O. Madaog, Gorli Marong (18), P.O. Marog, District Shimla (H.P.)-171211 declare that I have changed my name from Suresh (Previous Name) to Suresh Gharti Magar (New Name). All concerned please may note.

SURESH GHARTI MAGAR
s/o Sh. Dhan Bhadur,
r/o Village Madaog, P.O. Madaog,
Gorli Marong (18), P.O. Marog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Yaunas aged 50 years s/o Sh. Shankar Dass, r/o V.P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, Chhatair (494/1), District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Yaunas to Yunus. All concerned please may note. That my correct name is Yunus.

YAUNAS
s/o Sh. Shankar Dass,
r/o V.P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala,
Chhatair (494/1), District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rajinder Prasad s/o Late Sh. Parma Ram, r/o Village Harlot, P.O. Basantpur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Rajender Parsad in my Aadhar Card. Kindly correct it as Rajinder Prasad.

RAJINDER PRASAD
s/o Late Sh. Parma Ram,
r/o Village Harlot, P.O. Basantpur,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sudhir Kumar Sankhyan s/o Sh. Sada Nand Sankhyan, r/o Sankhyan Building Lower Totu Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.)-171011 declare that in my daughter's Aadhar Card her name is wrongly entered as Sharya which should be corrected as Shreya Sankhyan. Please correct this.

SUDHIR KUMAR SANKHYAN
*s/o Sh. Sada Nand Sankhyan,
r/o Sankhyan Building,
Lower Totu, Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Anjna Kumari w/o Sh. Vinod Kumar, r/o Ward No. 03, Band Bihar, VPO Ustehar, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176061 declare that I have changed my name from Anju Devi to Anjna Kumari. Anju Devi & Anjna Kumari is the same woman. All concerned please note this.

ANJNA KUMARI
*w/o Sh. Vinod Kumar,
r/o Ward No. 03, Band Bihar,
VPO Ustehar, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Sunil Kumar s/o Sh. Anoukhi Ram, r/o Village Shad Pajoga, P.O. Jadol Taproli, Sub-Tehsil Pajhota, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declare that my correct name is Sunil Kumar as per school & panchayat records. However, my name has been wrongly entered as Dula Ram in my Aadhar Card. Both names refer to the same person. Kindly note & correct the records accordingly.

SUNIL KUMAR
*s/o Sh. Anoukhi Ram,
r/o Village Shad Pajoga, P.O. Jadol Taproli,
Sub-Tehsil Pajhota, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Shalini d/o Sh. Chuni Lal, r/o Village Sansoi, P.O. Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) declare to correct my name from Shalu to Shalini in my Aadhar Card.

SHALINI
*d/o Sh. Chuni Lal,
r/o Village Sansoi, P.O. Panarsa,
Tehsil Aut, District Mandi (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Vedansh Malhotra s/o Sh. Harish Malhotra, r/o Village Behal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that actual name of my mother is Monika Behal, but in school certificates mother's name entered as Monika Malhotra. I want to correct my mother's name in Matriculation and +2 certificates as Monika Behal instead of Monika Malhotra. Be noted.

VEDANSH MALHOTRA
s/o Sh. Harish Malhotra,
r/o Village Behal, P.O. Pairi,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kushal Bharti s/o Sh. Kalip Singh, r/o V.P.O. Basantpur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly entered as Yashvi in her Aadhar Card instead of Yashashvi Thakur. Kindly correct her name as Yashashvi Thakur.

KUSHAL BHARTI
s/o Sh. Kalip Singh,
r/o V. P.O. Basantpur,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Mohan Singh s/o Sh. Kanshi Ram, r/o Village Gadhyani, P.O. Rakhoh, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) do hereby declare that my name is Mohan Singh in all my Government documents. However, in the Marks Sheet of my son Shourya Garla, who passed class 10th from CBSE with Roll No. 17280022 in the year 2025, my name is incorrectly mentioned as Mohan Singh Garla. I request that the same be corrected to Mohan Singh.

MOHAN SINGH
s/o Sh. Kanshi Ram,
r/o Village Gadhyani, P.O. Rakhoh,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mod. Farhan s/o Mod. Shakir, r/o Ashoka Cottage, Near Sadar Thana, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Mod. Farhan (Old Name) to Farhan Ahmad (New Name). All concerned please may note.

Mod. FARHAN
s/o Mod. Shakir,
r/o Ashoka Cottage,
Near Sadar Thana, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Seena w/o Bashir Muhammad, r/o VPO Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) hereby declare that my name is incorrectly mentioned as Surjiya in my Aadhar Card. I request that the same be corrected to Seena.

SEENA
w/o Bashir Muhammad,
r/o VPO Badehar, Tehsil Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.).

LABOUR, EMPLOYMENT & OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-171 001, the 1st August, 2025

No. LEP-A003/19/2023-Loose-I.—In exercise of the powers conferred by section 112 of Factories Act, 1948 (Act No. LXIII of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to amend the Himachal Pradesh Factories Rules, 1950 notified *vide* Industries department notification number D 80-12/48-III dated 06-05-1952. The same are hereby ordered to be published in the official Gazette as per provision of Section 115 of Act *ibid* for general information of the person(s) likely to be affected by the said rules.

If any person likely to be affected by these draft rules have any objection(s) or suggestion(s) in respect of these rules, he/she may send the same to the Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Factories, First Floor, New Himrus Building, Shimla-1, H.P. within 45 days from the date of publication of draft rules in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Objection(s) and suggestion(s), if any, received within the period specified above, shall be considered by the State Government before finalizing the draft rules, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Factories (Amendment) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of SCHEDULE II .—In clause 3 of SCHEDULE II of the Himachal Pradesh Factories Rules, 1950 (hereinafter referred to as the ‘said rules’),—**the words "women and" shall be deleted.**

3. Amendment of SCHEDULE III.—In clause 3 of SCHEDULE III of the said rules, **the words "women and" shall be deleted.**

4. Amendment of SCHEDULE IV.—In clause 4 of SCHEDULE IV, of the said rules, **the words "women and" shall be deleted.**

5. Amendment of SCHEDULE VI.—In clause 4 of SCHEDULE VI, of the said rules, **the words “women or” shall be deleted.**

6. Amendment of SCHEDULE VII.—In clause 1 of SCHEDULE VII, of the said rules, the words "women and" shall be deleted.

7. Amendment of SCHEDULE VIII.—In clause 3 of SCHEDULE VIII, of the said rules the words "women and" shall be deleted.

8. Amendment of SCHEDULE XI.—In clause 5 of SCHEDULE XI, of the said rules, the words "women or" shall be deleted.

9. Amendment of Form No. 20.—In Form No. 20 of the said rules,

- (i) In clause 1, the words "for more than 9 hours in any day" the words "for more than 10 hours in any day" shall be substituted.
- (ii) In clause 6, for the words and numbers "no period shall exceed 5 hours", and "more than 10^{1/2} hours" in any day or with the permission of the Chief Inspector in writing, 12 hours" the words and numbers "no period shall exceed 6 hours" and "more than 12 hours in any day" shall be substituted respectively.
- (iii) In clause 10, the following shall be substituted, namely,—

"10 Leaves of Employment of Women. Section 66.—the words **women shall be employed in any factory for not more than 10 hours in any day or between the hours of 7 P.M. to 7 A.M.**

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (LE & OP).